न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, पाली (जिला–पाली)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 128 /2021 जी.सी.एम.एस. पोर्टल नंबर 218 /2021

अनवान सरकार जरिये तहसीलदार, पाली

बनाम

चौथी वगैरह

आदेश

निर्णय दिनांक– 25/8/21

(अंतर्गत धारा 136,131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956)

प्रार्थी **तहसीलदार, पाली** के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार मण्डल– **गुन्दोज।** व भू.अ. निरीक्षक – **गुन्दोज** की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पाली की अनुशंषा के आधार पर तहसील क्षेत्र पाली में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर एवं राजस्व विभाग, राजस्थान निर्देशानुसार भू–अभिलेखों की डिजिटाईजेशन हेतु संचालित DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के अंतर्गत जमाबंदी, नक्शा स्थिति की अनुरूपता के लिए मौका एवं नक्शा की स्थिति में भिन्नता के फलस्वरूप तरमीम कार्य में अवरोध के निराकरण हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं 131 के अनुसरण में मौजा ग्राम **गुन्दोज।** तहसील– पाली, जिला– पाली की जमाबन्दी संवत् **2072–2075** में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है खातेदारान् के नाम, हक हिस्सा एवं रहन की प्रविष्टियां, कुल रकबा एवं भूमि की किस्म अप्रभावित रहते हुए बदस्तुर जारी रहेगी। कोई भी खातेदार किसी भी समय आवश्यक समझे तो संबंधित सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के तहत खसरा एकीकरण

मौजा ग्राम– **गुन्दोज।** पटवार मण्डल – गुन्दोज। भू.अ.नि.– गुन्दोज, **तहसील–पाली जिला–पाली**

वर्तमान खाते का विवरण					शुद्धि की प्रविष्टि				
खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	खातेदार का विवरण	खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	खातेदार का विवरण
151	756/1	50.00	चा.दो.	चौथी पत्नि चैनाराम कौम घांची सा. डेण्डा खातेदार।		756	**91.13**	चा.दो.	चौथी पत्नि चेनाराम हि.1000/1833 हंजा जोजे आदाराम हि. 833/1833 कौम घांची सा.डेण्डा खातेदार।
629	756/2	41.13	चा.दो.	हंजा जोजे आदाराम कौम घांची सा. डेण्डा खातेदार					
योग	**02**	**91.13**	**चा.दो.**			**01**	**91.13**	चा.दो.	

नोट– उपरोक्तानुसार खसरा नम्बरान को खसरा नम्बर **756** में एकीकरण करने के आदेश दिये जाते है।

1. नियमानुसार लगान दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

(देशल दान)
आई.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,पाली